

न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 24 / 2019 (2019 / 00107)

प्रार्थी

रिलायन्स जीओ इन्फोकॉम लि0 हैड ऑफिस – थर्ड फ्लोर, मक्कड चैम्बर, 4 जी 222, नरीमन प्वाइंट, मुम्बई। शाखा कार्यालय – प्रथम मंजिल, आनन्द भवन, संसार चन्द्र रोड़, जयपुर जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता पूरण बोहरा।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. ग्राम पंचायत चौखा, पंचायत समिति जोधपुर, मुख्यालय मण्डोर, जिला जोधपुर जरिये सरपंच गोविन्द राम टाक।
2. श्री कुम्भाराम भाटी ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत चौखा, तहसील व जिला जोधपुर।

आदेश दिनांक 03.11.2017 जिसके द्वारा अप्रार्थी ग्राम पंचायत चौखा द्वारा निगरानीकर्ता का प्रार्थना-पत्र दिनांक 15.09.2017 बाबत दिये जाने अनुमति टावर स्थापना निरस्त कर दिया गया।

— — —

उपस्थिति :-

1. अधिवक्ता बी0 एल0 ढाका (प्रार्थी)।
2. अप्रार्थीगण नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित।

—आदेश —

दिनांक : 26.11.2021

संक्षिप्त में पुनरीक्षण प्रार्थना-पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता कम्पनी एक इन्टरनेट सेवा प्रदाता कम्पनी है, जो भारतीय कम्पनीज अधिनियम, 1956 के तहत पंजीबद्ध है। उक्त कम्पनी भारत संचार के एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग द्वारा प्रदत्त किये गए “ए” श्रेणी की लाईसेन्सधारी है, जिसका मुख्य कारोबार मोबाइल टॉवर स्थापित कर आम जनता को सरलतापूर्वक इन्टरनेट ब्राडबैंड एवं अन्य मोबाइल सुविधाएँ उपलब्ध कराना है। निगरानीकर्ता द्वारा अपने उपरोक्त कार्य के सम्पादन हेतु नेटवर्क की आवश्यकतानुसार निर्धारित स्थानों पर सम्बन्धित निकायों से अनुमति लेने के उपरान्त मोबाइल टॉवर की स्थापना करती है। निगरानीकर्ता कम्पनी द्वारा मोबाइल टॉवर स्थापित करने हेतु राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों, नियमों एवं राजस्थान सरकार द्वारा परिपत्र/गाईड लाईन्स दिनांक 06.02.2017 एवं दिनांक 06.11.12017 की शर्तों के तहत प्रत्यर्थी ग्राम पंचायत चौखा के समक्ष मोबाइल टॉवर लगाने हेतु अनुमति प्रार्थना-पत्र दिनांक 15.09.2017 को मय दस्तावेजात् प्रस्तुत किया। ग्राम पंचायत



चौखा द्वारा निगरानीकर्ता कम्पनी के उपरोक्त प्रार्थना-पत्र की न तो जांच की गयी और न ही मौका मुआयना किया गया तथा राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्रों, नियमों के विपरीत जाकर निगरानीकर्ता कम्पनी को सूचना दिये बिना विधि विरुद्ध तरीके से एक पक्षीय दिनांक 03.11.2017 को आवेदन खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह निगरानी प्रार्थना-पत्र 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत पेश हुई।

पुनरीक्षण प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये तथा ग्राम पंचायत चौखा से मूल अभिलेख भी तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित। अप्रार्थी संख्या 02 दिनांक 17.17.2018 को उपस्थित हुए तथा पत्र प.18-19/121 के माध्यम से अवगत कराया कि ग्राम पंचायत चौखा में रिलायन्स जियो इन्फोकोम लिमिटेड जोधपुर के माध्यम से लालसिंह पुत्र कन्हैयालाल व अर्जुन पुत्र मीठालाल रामनगर नयापुरा वार्ड नं0 17 में रिलायन्स जियो टॉवर लगवाने की अनुमति मांगी गई। पत्रावली फाईल में प्रार्थीगणों का पट्टा संलग्न नहीं है। जो भूमि सम्बन्धी दस्तावेज संलग्न किये हैं वो जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के क्षेत्राधिकार में है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा उक्त जमीन पर अनुमति नहीं दी जा सकती। प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की बहस दिनांक 23.11.2021 को सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बतलाया कि अप्रार्थीगण द्वारा जारी आदेश दिनांक 03.11.2017 गलत, निराधार एवं भ्रामक तथ्यों के आधार पर एवं रिकार्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों के विपरीत आदेश पारित कर भारी भूल की है जो निरस्त योग्य है।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस में आगे बतलाया कि अनुमति प्रार्थना-पत्र दिनांक 15.09.2017 को निरस्त करने से पूर्व कानूनी रूप से निगरानीकर्ता कम्पनी को लिखित में न तो नोटिस दिया गया और न ही सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही मनमाने तरीके से आदेश दिनांक 03.11.2017 को पारित कर दिया जो स्पष्टतया प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

प्रार्थी अभिभाषक ने निरन्तर बहस में बतलाया कि निगरानीकर्ता कम्पनी द्वारा मोबाइल टॉवर स्थापित करने की अनुमति बाबत ग्राम पंचायत चौखा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया, ग्राम पंचायत चौखा का प्रथम कर्तव्य था कि वह मौका मुआयना करने के उपरान्त निगरानीकर्ता कम्पनी को सुनवाई का अवसर प्रदान कर फिर निर्णय पारित करती लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाये बिना किसी युक्तियुक्त कारण के निगरानीकर्ता कम्पनी का आवेदन निरस्त कर दिया। ऐसी स्थिति में आदेश दिनांक 03.11.2017 को अपास्त किया जाना विधिसम्मत है। अप्रार्थी द्वारा अपने आदेश दिनांक 03.11.2017 में आवेदन खारिज करने का जो आधार बताया गया वह है कि “ जमीन जेडिए जोधपुर के क्षेत्राधिकार में है। ” पूर्णतया अपूर्ण अनजस्टिफाई व अनस्पिकिंग आदेश है जबकि उक्त जमीन ग्राम पंचायत चौखा के क्षेत्राधिकार में है तथा ग्राम पंचायत ने अपने आदेश में यह

कहीं भी अंकित नहीं किया कि आवेदन किस आधार पर किन नियमों के तहत और क्यों खारिज किया गया। अप्रार्थी ने मौके की जांच किये बिना विधि विरुद्ध तरीके से आदेश दिनांक 03.11.2017 पारित किया जो निरस्त योग्य होने से निरस्त फरमावें।

हमने अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्र व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। पंचायत निगरानी का गुणावगुण निर्णय इस प्रकार किया जा रहा है। यह तथ्य निर्विवादित है कि निगरानीकर्ता द्वारा ग्राम पंचायत चौखा के समक्ष मोबाईल टॉवर लगाने हेतु अनुमति प्रार्थना-पत्र दिनांक 15.09.2017 को मय दस्तावेजात् प्रस्तुत किया। ग्राम पंचायत चौखा द्वारा निगरानीकर्ता कम्पनी के उपरोक्त प्रार्थना-पत्र की न तो जांच की गयी और न ही मौका मुआयना किया। ग्राम पंचायत चौखा द्वारा प्रार्थी को न तो किसी प्रकार का नोटिस दिया गया और सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही प्रार्थना-पत्र खारिज कर दिया जो विधिसम्मत नहीं है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत चौखा द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.11.2017 को अपास्त किया जाता है। ग्राम पंचायत चौखा को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् का अवलोकन कर नये सिरे से विधिसम्मत आदेश पारित करें।

मदनलाल नेहरा
अपर जिला कलक्टर(प्रथम)
जोधपुर

निर्णय दिनांक 26.11.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

मदनलाल नेहरा
अपर जिला कलक्टर(प्रथम)
जोधपुर